तत्काल / समय–सीमा

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

13 AUG 2014

कमांक– एफ–2-45 / सात–2 / 2014 नया रायपुर, दिनांक अगस्त, 2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में ।

संदर्भः (1) सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र कमांक एफ–13–22 / 2012 / अप्र / 1–3 दिनांक 24.09.2013

(2) सामान्य प्रशासन विभाग का अधिसूचना कमांकएफ–13–23 / 2012 / अप्र / 1–3 दिनांक 22.08.2013

(3) सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र कमांक 912 / 389 / 2014 / अप्र / 1–3 दिनांक 04.08.2014

–0–

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूसचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में संदर्भित पत्र कमांक–1 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये है । सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अपने संदर्भित अधिसूचना कमांक–2 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से स्थायी तथा अस्थायी जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिये तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, अपर कलेक्टर तथा जिला कलेक्टरों को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है ।

2. उपरोक्तानुसार दिशा–निर्देश जारी करने तथा सक्षम प्राधिकारी अधिसूचित करने के बाद भी शासन स्तर पर यह पाया गया है, कि उक्त दिशा–निर्देशों का फील्ड स्तर पर राजस्व अधिकारियों के द्वारा कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है तथा अभी भी जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिये पुराने अभिलेखों की मांग की जा रही है, जिसके कारण लोगों को कठिनाई पूर्ववत बनी हुई है । इसके अलावा उक्त दिशा–निर्देशों का आम जनता के बीच पर्याप्त प्रचार–प्रसार भी नहीं किया जा रहा है । अतः सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अपने संदर्भित पत्र कमांक–3 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से राज्य के निवासियों को जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के बारे में जारी दिशा–निर्देशों का पर्याप्त प्रचार–प्रसार करने तथा उक्त निर्देशों का सभी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये है ।

3. चूंकि जाति प्रमाण–पत्र जारी करने के लिये विभाग के नायब तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी, अपर कलेक्टर तथा जिला कलेक्टरों कों सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है । ऐसी स्थिति में समस्त विभागीय अधिकारी इन निर्देशों की पर्याप्त जानकारी होना, उनके पास इन निर्देशों की प्रतिलिपि

उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है । इसके अलावा जिलों के भीतर आयोजित किये जाने वाले विभिन्न सम्मेलन/ शिविरों में भी इन निर्देशों का प्रचार–प्रसार आम जनता के बीच किया जाना भी आवश्यक है ।

4. अतः यह निर्देशित किया जाता है, कि सामान्य प्रशासन विभाग के नीचे संलग्न निर्देशों को आप अपने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, साथ ही इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुये आम जनता में उसका व्यापक प्रचार–प्रसार करने की भी व्यवस्था करें । इस निर्देश तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र/अधिसूचना को विभाग के वेबसाईट–**cg.nic.in/revenue** में भी अपलोड किया गया है, जिसे जिला स्तर पर भी डाउनलोड किया जा सकता है ।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(के.आर.पिस्दा) 13/8/2014
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक–एफ–2-45 /सात–2/2014 नया रायपुर, दिनांक अगस्त,2014

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, मंत्रालय,रायपुर।
2. सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
3. आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
4. समस्त संभागीय आयुक्तों को सहपत्रों सहित सूचनार्थ अग्रेषित ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक / एफ 13–22. / 2012 / आ.प्र. / 1–3 नया रायपुर, दिनांक 24/09 / 2013

प्रति

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष
समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
छत्तीसगढ़

विषय :– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण–पत्र) जारी करने, सत्यापित करने तथा निरस्त करने आदि के संबंध में निर्देश।

वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के हजारों अधिकारी / कर्मचारी तथा उनके परिवार छत्तीसगढ़ राज्य से मध्यप्रदेश राज्य तथा मध्यप्रदेश राज्य से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवासित हुए थे, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी सम्मिलित थे, फलस्वरूप जाति प्रमाण–पत्र जारी करने संबंधी दिशा निर्देशों के कुछ नीति निर्देशक तत्वों यथा मूल निवास, स्थानीय निवास तथा प्रवर्जन आदि विषयों पर कतिपय शंकाएँ उत्पन्न हो रही थीं। इसके अतिरिक्त राज्य का क्षेत्रफल पहले की तुलना में कम होने तथा राजधानी एवं राज्य सरकार तक आमजन की पहुँच सहज एवं सुलभ होने से विभिन्न जाति एवं जनजाति संगठनों द्वारा जाति प्रमाण–पत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर आने वाली कठिनाईयों की ओर भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा रहा था। फलस्वरूप इन सब विषयों पर इस विभाग के द्वारा समय समय पर यथानुसार निर्देश जारी किए गए हैं।

इस दौरान राज्य सरकार के ध्यान में यह भी आया कि कतिपय अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा फर्जी जाति प्रमाण–पत्र के माध्यम से शासकीय सेवाओं में आरक्षित पदों पर नौकरियाँ प्राप्त कर ली गई हैं, जिसके कारण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के वास्तविक हकदार संविधान प्रदत्त सुविधाओं से वंचित हुए है। ऐसे लोगों के विरूद्ध जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के माध्यम से जॉच एवं अनुसंधान उपरांत निर्णय पारित किए गए तथा उनमें से कुछ को शासकीय सेवा से भी बर्खास्त किया गया परंतु विशिष्ट कानूनी प्रावधानों के अभाव के कारण ऐसी मिथ्या तथा फर्जी प्रमाण पत्र धारकों के द्वारा कानूनी अड़चने पैदा कर कार्यवाही को विलंबित किया जा रहा था।

इन सब परिस्थितियों पर समुचित विचार–विमर्श के उपरांत राज्य शासन के द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 पारित करवाया गया जिसे आगे अधिनियम, 2013 कहा गया है और उक्त अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 भी जारी किया गया है, जिसे आगे नियम, 2013 कहा गया है। उक्त अधिनियम एवं नियम में परंपरा अनुसार विधिक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, जिसे समझने में संभवतः कहीं–कहीं कठिनाई हो

सकती है, अतः उक्त अधिनियम एवं नियम का सार सरल भाषा में भी जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये निर्देश जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रकिया को आमजन के लिए सहज रूप से समझने की सुविधा के उद्देश्य से **अनुपूरक व्यवस्था** के रूप में जारी किए जा रहे हैं। किन्हीं कानूनी कार्यवाहियों के संदर्भ में ये निर्देश सुसंगत नहीं होंगे और विशिष्ट बिन्दुओं पर कोई विवाद होने पर उनका समाधान उक्त अधिनियम 2013 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के तहत ही किया जावेगा। तद्नुसार उपर्युक्त विषय पर निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :-

निर्देश

1. आवेदन-पत्र का स्वरूप एवं प्रस्तुति :

1.1 अधिनियम, 2013 की धारा 3 एवं नियम, 2013 के नियम 3(1) के अंतर्गत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में आवेदन पत्र का प्ररूप (प्ररूप 1 क) निर्धारित किया गया है तथा 3 (2) के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि आवेदक आवेदन पत्र स्वयं या डाक या चॉइस सेंटर या सामान्य सेवा केन्द्र (Common Services Centre)के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है।

1.2 नियम, 2013 के नियम 3 (1) एवं 3 (2) के प्रावधान सामान्य तौर पर सभी आवेदकों के संबंध में लागू होंगे परंतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की सबसे अधिक एवं प्राथिमिक रूप से आवश्यकता, वास्तव में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ही होती है, इसे दृष्टिगत रखते हुए आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र कमांक एफ-19-46/ 25-2/2011/आ.जा.वि दिनांक 26 नवम्बर, 2011 के द्वारा तथा इस विभाग के परिपत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 के द्वारा संबंधित विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा ही आवेदन-पत्र उपलब्ध कराये जाने, सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित किये जाने तथा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरांत स्कूलों के माध्यम से ही संबंधित विद्यार्थी को वितरित किये जाने, अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत उसी आधार पर उनके अन्य भाई एवं बहनों को भी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किये जाने आदि के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए थे। उपर्युक्त निर्देशों का पालन करते हुए पुनः समस्त विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया जाता है कि उनके द्वारा इस संबंध में यह ध्यान रखा जावे कि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों को न बुलाया जाए। आवश्यक होने पर केवल उनके पिता/अभिभावक/पालक को ही बुलाया जाए।

2. आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज :

2.1 नियम 2013 के नियम 3 (3) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि आवेदन पत्र के साथ किन-किन दस्तावेजों को संलग्न किया जाना है। उक्त दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार हैं :

(1) शपथपत्र

(2) पटवारी द्वारा जारी वंशवृक्ष;

(3) Cut off date (राष्ट्रपतीय अधिसूचना की तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि, यथास्थिति) के पूर्व से, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में निवास करने से संबंधित दस्तावेज;

(4) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में आवंटन आदेश तथा Cut off date के पूर्व से वर्तमान मध्यप्रदेश की भौगोलिक सीमा में निवास करने से संबंधित दस्तावेज (म0प्र0 से छत्तीसगढ़ आए शासकीय कर्मचारियों की संतानों के संबंध में)

(5) निम्नांकित में से कोई दस्तावेजः-

(क) पूर्वजों के राजस्व दस्तावेज (मिसल);
(ख) जमाबंदी (सर्वे) या गिरदावरी;
(ग) राज्य बंदोबस्त;
(घ) अधिकार अभिलेख (1954);
(ङ) जनगणना (1931);
(च) वन विभाग की जमाबंदी;
(छ) नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (1949);
(ज) जन्म या मृत्यु पंजी;
(झ) यदि पिता अथवा पूर्वज शिक्षित थे, तो दाखिल खारिज पंजी;
(ञ) पिता, पूर्वज अथवा रिश्तेदार को पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र;
(ट) जहाँ जाति को प्रमाणित करने हेतु कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध न हो तो ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प;

(6) आवेदक के पिता का पूर्व वर्ष का आय प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए);

(7) डाक टिकट सहित पूर्ण एवं स्पष्ट पता लिखा हुआ लिफाफा।

2.2 उपर्युक्त दस्तावेजों में से दस्तावेज क्रमांक 5 (ट) – ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प वस्तुतः पूर्व से संधारित कोई दस्तावेज नहीं है वरन् शासन के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट होने पर कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के सुदूर क्षेत्र में निवास करने वाले, गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले तथा विशेष पिछड़ी जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए अपनी जाति को प्रमाणित करने हेतु दस्तावेज उपलब्ध कराना कई बार अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है। उसका प्रमुख कारण उनके पूर्वजों के पास अचल संपत्ति की अनुपलब्धता एवं शैक्षणिक योग्यताओं का नहीं होना होता है। इसके अतिरिक्त ये लोग पूर्वजों के ऐसे निजी दस्तावेजों को पीढ़ी दर पीढ़ी सम्हाल कर रखने के अभ्यस्त भी नहीं होते तथा ऐसी सुविधा भी इनके पास नहीं होती है। इसके अतिरिक्त 1950 के पूर्व के लोक दस्तावेजों को प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया एवं प्रयास इनके लिए कई बार अत्यंत कठिन होता है फलस्वरूप उक्त स्थिति पर विचार करने के उपरांत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–6–55/ पंग्राविवि/2013 दिनांक 26–8–2013 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि उक्त वर्ग के ऐसे लोगों की पहचान कर उनकी जाति तथा Cut off date को उनके मूल निवास स्थान के संबंध में ग्राम सभा के समक्ष उनके समाज एवं परिवार के जन्म एवं मृत्यु संबंधी संस्कारों, उनकी जाति की बोली, देवी देवता, गॉव या आसपास में रहने वाले लोगों से उनके रोटी–बेटी के संबंधों आदि की जानकारी के आधार पर उनकी जाति तथा Cut off date को उनके मूल निवास स्थान के संबंध मे उदघोषणा की जावेगी तथा यह **उदघोषणा** ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, तहसील तथा जिला कार्यालय में स्थाई रिकार्ड के रूप में संधारित की जावेगी और उसका उपयोग सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने के संदर्भ में किया जा सकेगा।

2.3 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 26–8–2013 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राम सभा के द्वारा ग्राम के किसी व्यक्ति की जाति तथा मूल निवास के संबंध में उपर्युक्त उदघोषणा करने के पूर्व भली–भॉति यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उक्त व्यक्ति की जाति या मूल निवास के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और ग्राम वासी यह जानते है कि उस व्यक्ति कि जाति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ वर्ग के तहत सम्मिलित है। यदि किसी व्यक्ति की जाति या मूल निवास के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है तो ग्राम सभा के द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में ऐसी कोई उदघोषणा नहीं की जा सकेगी और यदि उस व्यक्ति के द्वारा ऐसे किसी दस्तावेजों को छुपाकर ग्राम सभा से उदघोषणा कराई जाती है और उस उदघोषणा

के आधार पर मिथ्या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है तो वह अधिनियम, 20 धारा 10 के तहत दण्ड का भागी होगा।

3. आवेदन का पंजीयन :

नियम, 2013 के नियम 4 के अंतर्गत प्ररूप 5 (क) निर्धारित करते हुए आवेदन के पंजीयन के संबंध में प्रावधान किया गया है।

4. आवेदन–पत्र की प्राथमिक जॉच, पावती, वापसी ज्ञापन एवं असमर्थता ज्ञापन :

4.1 नियम, 2013 के नियम 5 (1) के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की प्राथमिक रूप से जॉच करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। प्राथमिक जॉच से तात्पर्य यह देखना है कि आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र में सभी निर्धारित बिन्दुओं के अंतर्गत आवश्यक जानकारी अंकित की गई है अथवा नहीं तथा ऐसे दस्तावेज जो उसके सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के दावे की पुष्टि हेतु आवश्यक हैं और जिनका उल्लेख नियम 3 (2) के तहत किया गया है, वे संलग्न किए गए हैं अथवा नहीं। यदि प्राथमिक जॉच में आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टि सही तथा पूर्ण पाई जाती है तथा वांछित दस्तावेज संलग्न हैं तो सक्षम प्राधिकारी आवेदक को निर्धारित प्ररूप 3 क अनुसार पावती उपलब्ध करा देगा और यदि वह कोई कमी पाता है तो 7 दिवस के अंदर निर्धारित वापसी ज्ञापन प्ररूप 3 (ख) में आवेदक को उपलब्ध करायेगा जिसमें उन कमियों का उल्लेख होगा जिसकी आवश्यकता सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु है।

ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अत्याधिक बल दिया जाता है । यह स्पष्ट किया जाता है कि भूमि संबंधी दस्तावेज सामाजिक प्रास्थिति हेतु विशिष्ट रूप से तैयार किये गये दस्तावेज नहीं है, अतः उन्हें अधिक साक्ष्यात्मक मूल्य (Evidentiary Value) का मानना अपेक्षित नहीं है ।

4.2(1) नियम, 2013 के नियम 6 के अंतर्गत प्ररूप 3 (ग) अनुसार असमर्थता ज्ञापन के संबंध में प्रावधान किया गया है। यह ज्ञापन वापसी ज्ञापन प्ररूप 3 (ख) के पीछे मुद्रित रहेगा। इस ज्ञापन का उपयोग उस आवेदक के द्वारा किया जावेगा जिसके पास नियम 3 (2) के तहत उल्लिखित दस्तावेज नहीं हैं और अथक प्रयास के बावजूद वह उक्त दस्तावेज प्राप्त करने में असफल रहा है। आवेदक के द्वारा **असमर्थता ज्ञापन के प्रारूप में शपथपत्र दिए जाने के उपरांत** सक्षम प्राधिकारी आवेदक से दस्तावेजों की मांग नहीं करेगा तथा नियम 8 के अनुसार आवेदक के दावे की जॉच करेगा परंतु यह आवश्यक होगा कि उक्त जॉच में आवेदक पूरी तरह से सहयोग करे। इस प्रकार अब आवेदक के केवल शपथ पत्र के आधार पर भी समुचित जॉच उपरांत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

4.3 **शपथ पत्र के आधार पर सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जाना:–**

सामान्यतः आवेदकों को दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में शपथ पत्र के आधार पर जारी किये जाने पर विचार किया जा सकता है । इस हेतु प्रथमतः आवेदक को आश्वस्त होना चाहिए कि उसके पास स्वयं को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है परंतु वह उसे तत्काल प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सावधानीपूर्वक सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्णय के तारतम्य में जारी निर्देशों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य में जारी किये जा रहे सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र हेतु विशेष सावधानी बरती जा रही है । अतः ऐसे आवेदक जिनके पिता, भाई–बहन को वर्ष 2006 या उसके पश्चात प्रमाण पत्र जारी किया गया था, के आधार पर आवेदक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दावे की पुष्टि कर सकता है एवं प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी विस्तृत जांच के आवेदक को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी कर सकता है । शपथ पत्र के आधार पर

ऐसे आवेदक को ही सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा, जिसके अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के होने के संबंध में किसी प्रकार की शंका की स्थिति न हो एवं उनके द्वारा मांगे जाने वाले जाति प्रमाण पत्र उन्हीं जाति के हों जो इन वर्गों की सूची में पूरी तरह पात्रता रखते हो तथा उनका आवेदन विस्तृत परीक्षण उपरांत मान्य किया जा सके । इस प्रयोजन के लिए प्रारूप 3(ग) में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

5. सक्षम प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी :

5.1 अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (ख) के अंतर्गत इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2013 के द्वारा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों को घोषित किया गया है।

5.2 शैक्षणिक कार्यों के लिए सरपंच एवं वार्ड पार्षदों को अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। शैक्षणिक कार्यों के अलावा अन्य कार्यों हेतु तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों को अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है।

5.3 स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार कलेक्टर, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रदान किया गया है परंतु सामान्य तौर पर उक्त कार्य अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा ही किया जावेगा। जहॉं कार्य अधिक है वहॉं कलेक्टर किसी डिप्टी कलेक्टर को भी किसी विशेष क्षेत्र के लिए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने का काम सौंप सकेंगे।

5.4 अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (क) के अंतर्गत सक्षम अधिकारियों के आदेशों से असंतुष्ट आवेदकों को अपील करने के प्रावधान के तहत अपीलीय अधिकारी घोषित किए गए हैं। इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2013 के द्वारा ही तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डिप्टी कलेक्टर तथा अनुविभागीय (राजस्व) के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर/कलेक्टर तथा अपर कलेक्टर/कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त/संभागीय आयुक्त को अपीलीय अधिकारी घोषित किया गया है।

6. जॉंच अधिकारी:

नियम, 2013 के नियम 7 के अंतर्गत उक्त संबंध में प्रावधान है। तद्नुसार प्राधिकृत अधिकारी या तो स्वयं जॉंच करेंगे अथवा उसकी गहन जॉंच के लिए अधीनस्थ अधिकारी से जॉंच करवा सकेंगे।

7. जॉंच :

7.1 नियम, 2013 के नियम 8 के अंतर्गत जॉंच प्रकिया के संबंध में स्पष्ट किया गया है। तद्नुसार जॉंचकर्ता अधिकारी आवेदक के निवास, स्थायी पता, राजस्व रिकार्ड, अचल संपत्ति, आवेदक के परिवार का व्यवसाय, मतदाता सूची में नाम या अन्य साक्ष्य जो कि वहॉं के स्थायी निवासी तथा जाति/जनजाति सिद्ध करने में सहायक हो, प्राप्त करेंगे। उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, वहॉं के रहने वाले राजपत्रित अधिकारी की भी राय ली जा सकती है। स्थानीय संस्थाओं यथा पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत के अभिलेख तथा इन संस्थाओं की राय भी साक्ष्य माना जायेगा। ग्राम के कोटवार, पटवारी, सरपंच, पार्षद के अतिरिक्त दावित जाति के ऐसे स्थानीय सदस्यों जो उक्त जाति के पूर्व से सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र धारी हैं तथा आवेदक एवं उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भली–भॉंति जानते हैं के भी मौखिक कथन साक्ष्य के रूप में अंकित कर सकते हैं।

7.2 सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने के पूर्व अत्यंत सावधानी ब आवश्यकता है क्योंकि सावधानी न बरती जाने के कारण मिलते–जुलते नामों के आधार पर सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी होने की संभावना रहती है। कुछ जातियॉं, कुछ जिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है न कि संपूर्ण राज्य में। इसी प्रक कुछ जातियों के नामों में थोड़ा सा अंतर है। यदि सावधानीपूर्वक जॉंच नहीं की गई तो गलत प्रमाण–पत्र जारी होने के संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्राधिकृत अधिकारी को उक्त साक्ष्यों से या अन्य तरीके से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को यह प्रमाण–पत्र दिया जा रहा है, वह दावित जाति का है तथा Cut off date (राष्ट्रपति अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि, यथास्थिति) के पूर्व से उसके पिता/पूर्वज छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र के निवासी रहे है अथवा नियम 12 के अंतर्गत राज्य शासन के ऐसे अधिकारी/कर्मचारियों की संतान है, जिसके पिता अथवा पूर्वज Cut off date के पूर्व से वर्तमान मध्यप्रदेश राज्य क्षेत्र के निवासी है तथा राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप उनके पिता/परिवार के मुखिया को छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित हुआ है।

7.3 जॉंच के दौरान कुछ आवेदकों के संबंध में यदि यह पाया जाता है कि उनके कतिपय साक्ष्य दस्तावेजों में अंकित जाति नाम अधिसूचित जाति सूची में अंकित जाति नाम के अनुरूप है तथा कुछ में अनुरूप नहीं है तो दस्तावेजों की प्रमाणिकता का परीक्षण करने के उपरांत उक्त दस्तावेज को वरीयता दी जावे जिसमें अंकित जाति नाम सूची में अंकित जाति नाम के अनुरूप है।

7.4 जॉंच के दौरान ऐसे आवेदन–पत्र जिनके साथ संलग्न प्रस्तुत साक्ष्य अभिलेखों में दर्शित जाति नाम मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 19 के अंतर्गत अनुसूची 3 अथवा धारा 20 के अंतर्गत अनसूची 4 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति सूची अथवा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में दर्शित जाति से साम्य नहीं रखती है तथा उसका उच्चारण एवं लेखन दोनों ही तद्रूप होना नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्रों के आधार पर यद्यपि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा परंतु ऐसे आवेदन–पत्रों का पूरा विवरण प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में संधारित किया जावेगा तथा इस बाबत प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जिला स्तरीय सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र सत्यापन समिति के माध्यम से प्रति छैः माह में एक संक्षिप्त प्रतिवेदन भी संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को प्रेषित किया जावेगा जिसमें जातिवार (जैसा कि साक्ष्य अभिलेख में अंकित है) आवेदन–पत्रों की संख्यात्मक जानकारी प्रेषित की जावेगी जिससे ऐसे आवेदकों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकेगा।

8. सबूत का भार :

अधिनियम, 2013 की धारा 14 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि सक्षम अधिकारी, जिला सत्यापन समिति या छानबीन समिति के समक्ष किसी आवेदक की जाति की जॉंच के संबंध में यह साबित करने की जिम्मेदारी अर्थात सबूत का भार कि वह किस जाति या जनजाति से संबंध रखता है, आवेदक पर होगा।

9. अस्थाई तथा स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने की अवधि :

सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण के विनियमन नियम, 2013 के नियम 9 एवं 10 के अंतर्गत आवेदक के दावे से संतुष्ट होने पर सक्षम अधिकारी स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के मामले में आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के अंदर तथा अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के मामले में भी 30 कार्य दिवस के अंदर सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करेगा। यह व्यवस्था राजस्व विभाग द्वारा क्रमांक/एफ–4–124/सात–3/2011, दिनांक 16 मई 2013 द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की गई है।

10.अस्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र :

10.1 नियम, 2013 के नियम 10 (2) के अंतर्गत अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी होने के दिनांक से केवल 6 माह की अवधि के लिए मान्य होगा परंतु यदि 6 माह के पूर्व ही स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी हो जाता है तो अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र की मान्यता समाप्त हो जावेगी अर्थात उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी।

10.2 नियम, 2013 के नियम 10 (2) के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के द्वारा अपने कार्यालय में अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र का विवरण रखा जावेगा।

10.3 अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए केवल 6 माह के लिए मान्य होगा, उसके पश्चात उक्त प्रमाण पत्र धारक को फिर स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के लिए सक्षम अधिकारी के कार्यालय में आवेदन नहीं देना पड़े इस हेतु अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने के पश्चात आवेदक का आवेदन–पत्र आदि तथा प्रमाण पत्र की एक प्रति स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु स्वयं उस हेतु घोषित अधिकारी के कार्यालय में अंग्रेषित कर उसकी सूचना संबंधित आवेदक को देंगे।

10.4 शैक्षणिक प्रयोजन के लिये ही जारी अस्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की वैधता की समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है अर्थात राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के लिये इसका उपयोग तब तक किया जा सकेगा जब तक स्थाई प्रमाण पत्र जारी न हो जाये या परीक्षणोपरांत जाति संबंधी दावा निरस्त न कर दिया जाये।

इसके अतिरिक्त अस्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता मुख्य रूप से पोस्ट मैट्रिक शिक्षा संबंधी कार्यो के लिए विद्यार्थियों को होती है। चूँकि नियमानुसार 6 माह के उपरांत अस्थाई प्रमाण पत्र की मान्यता समाप्त हो जावेगी अतः यह प्रश्न उपस्थित होगा कि यदि संबंधित विद्यार्थी के द्वारा स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका है तो उसे स्वीकृत छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति का वितरण एवं भुगतान के संबंध में क्या कार्यवाही की जानी चाहिए। उपर्युक्त संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक संस्था प्रमुख और छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी के द्वारा स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित विद्यार्थी पर दबाव नहीं डाला जावेगा वरन् स्वयं उक्त विद्यार्थी के स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी से जानकारी प्राप्त की जावेगी।

10.5 शैक्षणिक संस्था प्रमुख और छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारियों के सामने ऐसे प्रकरण भी सामने आ सकते हैं जिनमें किसी विद्यार्थी के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा यह अवगत कराया जाता है कि उसे स्थायी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी किया जाना संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में शैक्षणिक संस्था प्रमुख और छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी के द्वारा उक्त विद्यार्थी का छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति का वितरण एवं भुगतान तत्काल प्रभाव से रोक दिया जावेगा परंतु उक्त विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्था से, भले ही वह केवल आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित हो, शिक्षा सत्र् के मध्य में निष्काषित नहीं किया जावेगा।

11.स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र :

11.1 अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (ण) के द्वारा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र (जाति प्रमाण पत्र) के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट होता है कि कोई आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। नियम 2013 के

नियम 9 के तहत निर्धारित प्ररूप 4 क (1) से (3) तथा प्ररूप 4 ख के द्वारा प्रमाण पत्र के के रंग वर्गवार निर्धारित कर यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रमाण पत्र के सरसरी तौर पर देखने में यह स्पष्ट हो जावे कि वह किस वर्ग के लिए जारी किया गया है। उक्त प्रारूप के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आसमानी रंग के कागज में, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए हल्के गुलाबी रंग के कागज में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हल्के पीले रंग के कागज में तथा सभी अस्थाई प्रमाण पत्र सफेद रंग के कागज में जारी किए जाने की व्यवस्था की गई है।

11.2 अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की मान्यता समय के द्वारा सीमित नहीं होगी अर्थात यह कालातीत नहीं होगा या यह भी कह सकते हैं कि यह सर्वदा के लिए होगा और इसके खो जाने की स्थिति में प्राधिकारी अधिकारी के द्वारा इसका डुप्लीकेट भी जारी किया जा सकेगा।

11.3 यह संभव है कि विशेष परिस्थिति में किसी आवेदक को अंग्रेजी में जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के द्वारा यदि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार अथवा अंग्रेजी में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने की मॉग की जाती है तो समुचित जॉच एवं प्रकिया अपनाने के उपरांत उसे उक्त प्रारूप में स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।

12.अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ में प्रवासितों के लिए स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र :

12.1 नियम, 2013 के नियम 2 (च) के द्वारा अन्य राज्यों से प्रवासी के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि वे व्यक्ति जिसने अन्य राज्य या संघ क्षेत्र से Cut off date (राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि अथवा अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि) के पश्चात अथवा उसका जन्म उक्त तिथि के उपरांत होने की स्थिति में उसके पिता अथवा वैध पालक के द्वारा उक्त तिथि के पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में प्रवास किया हो तो वह इस राज्य में प्रवासी होगा। उक्त संबंध में नियम 11 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रवासी व्यक्ति को प्ररूप 4 ग में स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण जारी किया जावेगा जिसके आधार पर उसे उसी राज्य में जहॉ से उसने प्रवास किया है यथानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रदत्त सुविधाओं का लाभ लेने की पात्रता होगी। प्रवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षण आदि की सुविधा प्राप्त नहीं होगी।

नियम 2 (ड.) में राष्ट्रपतीय अधिसूचना तिथि तथा नियम 2 (ज) में अन्य पिछड़े वर्ग की अधिसूचना तिथि को परिभाषित किया गया है तद्नुसार अनुसूचित जाति के लिए दिनांक 10.08.1950 अनुसूचित जनजाति के लिए दिनांक 06.09.1950 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिनांक 26.12.1984 नियत है। उक्त तिथि को वर्गवार प्रवास का Cut off date भी कह सकते हैं।

12.2 नियम, 2013 के नियम 12 के द्वारा यह प्रावधानित किया गया है कि अन्य राज्यों में से केवल अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारीगण जिन्हें राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित हुआ है, उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों को यदि उनकी जाति छत्तीसगढ़ राज्य की जाति सूची में सम्मिलित है तो उन्हें यथानुसार प्ररूप 4 क,ख एवं ग में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

13. आवेदन पत्र का निरस्तीकरण, उसकी सूचना तथा अपील :

13.1 आवेदन पत्र के निरस्तीकरण तथा उसकी सूचना आवेदक को देने के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) के परंतुक के अंतर्गत प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार प्राधिकृत अधिकारी आवेदन पत्र के निरस्त करने के कारणों का उल्लेख लिखित में करेगा तथा उसकी सूचना आवेदक को देगा।

13.2 अधिनियम, 2013 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत उपर्युक्त निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध आवेदक को अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके अनुसार आवेदक निरस्तीरकरण आदेश प्राप्ति होने के 30 दिवस के अंदर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि अपीलीय अधिकारी पर्याप्त कारण होने पर अपील करने में हुए विलंब को क्षमा कर सकता है और उक्त अपील पर सुनवाई कर सकता है। धारा 5 की उपधारा (2) में यह भी प्रावधान किया गया है कि अपीलीय प्राधिकारी 3 माह के अंदर उचित आदेश करेगा। इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2013 के द्वारा यह घोषित किया गया है कि किस सक्षम अधिकारी के संदर्भ में कौन अपीलीय अधिकारी होगा।

14. सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र के अभिलेखों का रख–रखाव तथा अभिलेख पंजी :

14.1 जारी किए गए सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्रों का विवरण रखे जाने हेतु नियम, 2013 के नियम 13 के तहत पंजी का संधारण प्ररूप 5 ग के अनुसार रखे जाने का प्रावधान किया गया है। प्ररूप 5 ग के कालम नम्बर 2 के तहत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के प्रकरण कमांक, पुस्तक कमांक और प्रमाण पत्र कमांक अंकित किया जाना है। इसमें से प्रमाण पत्र का कमांक विशिष्ट तरीके से अंकित किया जावेगा। राज्य के समस्त जिलों, उप संभाग, तहसील एवं ग्राम पंचायतों आदि के लिए अंकों का निर्धारण किया जावेगा और तद्नुसार प्रत्येक सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र को उसके अनुसार एक युनिक नंबर दिया जावेगा, जिसके देखने से यह पता चल जायेगा कि यह किस जिले, उप संभाग, तहसील, ग्राम पंचायत आदि से संबंधित है। इस संबंध में पृथक से निर्देश जारी किए जा रहे है। उक्त निर्देश जारी होने के उपरांत प्रत्येक सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के नंबर उक्त निर्देशानुसार अंकित किए जायेंगे। भविष्य में साफ्टवेयर तैयार होने के पश्चात ये युनिक नंबर साफ्टवेयर के द्वारा आटोमेटिक जनरेट होंगे। सॉफ्टवेयर तैयार होने तक कम्प्यूटर द्वारा भी प्रारूप 5ग की जानकारी संधारित की जाये। यदि सक्षम अधिकारी के स्तर पर कम्प्यूटराईज्ड जानकारी संधारण की व्यवस्था न हो तो यह जानकारी सक्षम अधिकारीवार जिला कलेक्टोरेट में संधारित की जा सकती है।

14.2 सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, फलस्वरूप जिस कागज में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी किया जाये वह अच्छी किस्म के हो ताकि समय का उस पर कम से कम प्रभाव हो।

15. दत्तक को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करना :

इस संबंध में परिपत्र कमांक एफ 7–2/96/आ.प्र./एक दिनांक 1 अगस्त 1996 द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

16. अन्तर जाति विवाह :

इस संबंध में परिपत्र कमांक एफ 7–2/96/आ.प्र./एक दिनांक 1 अगस्त 1996 द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

17. सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र की स्थाई मान्यता :

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्ण जॉच उपरांत जारी स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभागों के लिए मान्य होगा। राज्य के किसी भी विभाग या संस्था के द्वारा नियम, 2013 के द्वारा निर्धारित सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण के प्रारूप से भिन्न प्रारूप में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र की मॉग नहीं की जावेगी।

18. आय प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रकिया, सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र एक साथ जारी करने की प्रकिया, आय प्रमाण–पत्र की स

18.1 अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों को शैक्षणिक सुविधाएं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए आय के बंधन का भी प्रावधान है। आय में परिवर्तन होता रहे है अतएव स्थाई रूप से आय प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया जा सकता है परंतु शैक्षणिक संस्थाओं एवं अन्य प्रयोजनों के लिए जहॉ आय एवं सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्रों की एक साथ मॉग की जाती है तो ऐसे प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र के साथ साथ आय प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी (तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार) को अग्रेषित किया जावेगा अथवा स्वयं भी आय संबंधी दावों की जॉच के आधार पर आय प्रमाण–पत्र जारी कर सकेगा परंतु यह ध्यान रखा जावेगा कि आय एवं सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र के लिए जॉच एक साथ ही प्रारंभ की जाएगी ताकि प्रमाण–पत्र जारी करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब न हो।

18.2 ऐसे प्रकरण जहॉ आवेदक द्वारा केवल आय प्रमाण–पत्र की मॉग की जाती है तो उक्त संबंध में आवेदन पत्र आय प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु समक्ष प्राधिकारी, जो तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार हैं, के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

18.3 <u>सामान्य तौर पर आय प्रमाण–पत्र तीन वर्ष के लिए मान्य होगा</u> परंतु यदि आय की स्थिति में किसी तरह का भी परिवर्तन होता है तो आवेदक आय प्रमाण–पत्र जारी करने वाले अधिकारी को सूचित करे कि उनकी आय में परिवर्तन हो गया है, अतएव नया आय प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।

19. सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र का सत्यापन :

19.1 अधिनियम, 2013 की धारा 6 की उपधारा (1) से (4) में तथा नियम, 2013 के नियम 15 से 17 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में प्रावधान किया गया है।

19.2 इस विभाग के परिपत्र दिनांक 28 नवम्बर, 2006 तथा परिपत्र दिनांक 23 जुलाई 2012 के माध्यम से अपात्र व्यक्तियों के द्वारा मिथ्या एवं फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण एवं अन्य संविधान प्रदत्त सुविधाओं का दुरूपयोग रोकने हेतु आरक्षित वर्ग की नियुक्ति तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के मामलों में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के सत्यापन के निर्देश दिए गए थे परंतु उक्त निर्देशों में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया था कि नियुक्ति एवं प्रवेश हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ छानबीन समिति से सत्यापित सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्रों की मॉग की जावे परंतु नियोक्ताओ, शैक्षणिक संस्था प्रमुखों तथा अन्य प्राधिकारियों के द्वारा उक्त संबंध में प्रकाशित विज्ञापनों में छानबीन समिति से सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिए जाने के कारण आवेदकों को अपना सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र सत्यापन कराने के लिए छानबीन समिति के समक्ष रायपुर आना पड़ता था तथा नियुक्ति तथा प्रवेश आदि के समय अत्यंत भीड़ हो जाने के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था। अतः उपर्युक्त स्थिति के समाधान हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की गई है :

19.2.1 पूर्व में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण का सत्यापन सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति से कराने के निर्देश थे। उक्त निर्देश के स्थान पर अधिनियम, 2013 की धारा 6 की उपधारा (1) तथा नियम, 2013 के नियम 14 (1) के द्वारा प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है तथा तदनुसार इस विभाग की अधिसूचना दिनांक

22 अगस्त, 2013 के द्वारा राज्य के समस्त जिलों के लिए जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति गठित की गई हैं। आवेदकों के द्वारा सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र का सत्यापन अपने जिला मुख्यालय पर ही कराया जावेगा।

19.2.2 पूर्व में आरक्षित पदों पर नियुक्ति तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं अन्य संवैधानिक निकायों के द्वारा आरक्षित सीट की पूर्ति हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र एवं सामाजिक प्रास्थिति सत्यापन प्रमाण पत्र की मांग की जाती थी परंतु इस विभाग के परिपत्र दिनांक 29 जून, 2013 के द्वारा उक्त कार्यों हेतु अब आवेदन पत्र के साथ सत्यापित सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्रों की मांग नहीं किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।

यद्यपि आवेदकों को सत्यापन प्रमाण पत्र जमा करने की अनिवार्यता से छूट दी गई है परंतु कोई अपात्र व्यक्ति इसका अनुचित लाभ नहीं उठा सके इस हेतु नियम, 2013 के नियम 15 (1) के द्वारा यह प्रावधान भी रखा गया है कि यदि किसी लोक नियोजक, शैक्षणिक संस्था प्रमुख, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार को किसी आवेदक के संबंध में यह शिकायत प्राप्त होती है या संदेह होता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र मिथ्या अथवा फर्जी है तो वह आवेदक को प्ररूप 2 ख में शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश देगा तथा प्ररूप 1 ख में उस आवेदक का प्रकरण संबंधित जिले की सत्यापन समिति को अग्रेषित कर देगा या उस आवेदक को अपना सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र संबंधित जिले की सत्यापन समिति से सत्यापित कराने हेतु निर्देशित कर सकेगा।

19.2.3 उक्त अनुक्रम में नियम, 2013 के नियम 15 (5) के द्वारा यह प्रावधान भी रखा गया है कि आवेदक सत्यापन के संबंध में निर्देश प्राप्त होने के 1 माह के अंदर अपना मूल सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र, प्ररूप 1 ग में अपना आवेदन पत्र, प्ररूप 2 ग अनुसार शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज सत्यापन समिति को प्रस्तुत करेगा अन्यथा सत्यापन समिति उस आवेदक का सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जॉच के लिए छानबीन समिति को अग्रेषित कर देगी।

19.2.4 उक्त के अतिरिक्त नियम, 2013 के नियम 15 (2) के द्वारा यह प्रावधान भी रखा गया है कि सत्यापन समिति, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कुल जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्रों में से लगभग 10 प्रतिशत प्रमाण पत्रों का क्रमरहित नमूना पद्धति (रेंडम आधार पर) से जॉच करेगी। वर्तमान में जारी किये जा रहे सभी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्रों को दिये गये युनिक नम्बर के आधार पर कम्प्यूटर के माध्यम से रेण्डम नम्बर से निकालकर उस आधार पर सत्यापित किये जाने वाले प्रमाण पत्र का चयन किया जा सकेगा । भविष्य में साफ्टवेयर से प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी होने पर इस प्रकार रेंडम चयन भी साफ्टवेयर के माध्यम से संभव हो सकेगा।

19.2.5 उक्त पद्धति के अलावा सत्यापन समितियों के द्वारा अपने जिले के स्कूलों में आकस्मिक निरीक्षण कर कक्षा 9वी से 12वीं के विद्यार्थियों की जाति का सत्यापन विद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की विस्तृत जॉच कर के भी की जावेगी।

19.2.6 नियम, 2013 के नियम 16 के अंतर्गत सत्यापन के आवेदन पत्रों का पंजीयन करने, 7 दिवस के अंदर उसकी पावती देने, नियम 17 के अंतर्गत संतुष्टि की स्थिति में 1 माह के अंदर सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने तथा नियम 18 के अंतर्गत संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में प्रकरण आवेदक की सुनवाई करने के उपरांत गहन जॉच हेतु छानबीन समिति को अग्रेषित करने आदि के संबंध में प्रावधान किया गया है।

20. मिथ्या/फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र के संबंध में शिकायत :

20.1 जिला सत्यापन समिति या राज्य शासन के द्वारा अग्रेषित सामाजिक प्रा[illegible] प्रमाण–पत्रों की जॉच करने के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 7 (1) के तहत उच्च स्तरीय प्रमाणीक[illegible] छानबीन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है तथा इस विभाग की अधिसचूना दिनांक 22 अगस्त, 2013 के द्वारा उक्तानुसार छानबीन समिति का गठन किया गया है।

20.2 अधिनियम, 2013 की धारा 7 (1) के अनुसार छानबीन समिति के द्वारा जिला सत्यापन समिति या राज्य शासन के द्वारा अग्रेषित सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्रों की जॉच करने का प्रावधान रखा गया है। अतः उक्त प्रावधान अनुसार मिथ्या/फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के प्रकरण या शिकायत अब सीधे छानबीन समिति को नहीं भेजा जाना है वरन् ऐसे प्रकरण जिला सत्यापन समिति को प्रेषित किए जाएंगे तथा जिला सत्यापन समिति के द्वारा धारा 7 (2) के प्रावधान अनुसार समुचित जॉच के उपरांत प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर प्रकरण छानबीन समिति को अग्रेषित किया जावेगा। धारा 7 (1) के अनुसार छानबीन समिति राज्य शासन के द्वारा निर्दिष्ट प्रकरणों की भी जॉच करेगी अतः किसी शासकीय अधिकारी या आम व्यक्ति को किसी व्यक्ति के सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के मिथ्या या फर्जी होने के संबंध में कोई जानकारी है या संदेह है तो वह समुचित उल्लेख के साथ शिकायत संबंधित जिला सत्यापन समिति या राज्य शासन को प्रेषित कर सकता है। यदि कोई आम शिकायतकर्ता ऐसे मिथ्या या फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र धारक के संबंध में यह सुनिश्चित करने में कठिनाई महसूस कर रहा हो कि उसकी शिकायत राज्य शासन के किस विभाग को प्रेषित करना चाहिए तो वह उक्त संबंध में शिकायत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव को भी प्रेषित कर सकता है।

21. मिथ्या/फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र निरस्त करने का अधिकार

अधिनियम, 2013 की धारा 8 (1) के द्वारा छानबीन समिति को मिथ्या/फ़र्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र निरस्त एवं जप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है साथ ही धारा 8 (2) के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि छानबीन समिति का आदेश अंतिम तथा निर्णायक होगा।

22. मिथ्या/फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र के आधार पर प्राप्त सुविधाओं को वापस लिया जाना तथा दिए गए लाभ की वसूली

अधिनियम, 2013 की धारा 9 (1) एवं धारा 9 (2) के द्वारा मिथ्या/फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र धारक के द्वारा आरक्षित पद पर प्राप्त नियुक्ति, आरक्षित सीट पर किसी शैक्षणिक संस्था में प्राप्त किया गया प्रवेश तथा ऐसा कोई भी लाभ जो उसके द्वारा उक्त मिथ्या/फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है के वापस लेने का प्रावधान किया गया है। धारा 9 (3) के द्वारा ऐसे लाभ की वसूली भू राजस्व के बकाया की भॉति वसूल करने का प्रावधान किया गया है, धारा 9 (4) के द्वारा मिथ्या/फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त डिग्री, डिप्लोमा आदि को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है तथा धारा 9 (5) के द्वारा आरक्षित सीट पर निर्वाचन होने की स्थिति में प्रमाण पत्र के निरस्त होने की तिथि से उक्त सीट रिक्त माने जाने का प्रावधान किया गया है।

23. मिथ्या/फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र की जॉच

23.1 नियम, 2013 के नियम 19 से 22 के अंतर्गत छानबीन समिति के द्वारा मिथ्या/फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण की जॉच के लिए अपनाई जाने वाली प्रकिया निर्धारित की गई है। उक्त प्रकिया के अंतर्गत निम्नांकित विषय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :

23.1.1 नियम 21 (1) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि सतर्कता प्रकोष्ठ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार आवेदक या आरोपी (जिसके विरूद्ध शिकायत में आरोप लगाया गया है) की जाति के अनुसार ही सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र उचित रीति से जारी किया जाना पाया गया है अर्थात जाति के संबंध में उसके द्वारा किया गया दावा सही पाया गया है और शिकायत एवं संदेह गलत पाया गया है तो छानबीन समिति को उक्त प्रकरण में आगे किसी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

23.1.2 नियम 22 (1) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि सतर्कता प्रकोष्ठ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार आवेदक या आरोपी की जाति के अनुसार सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र उचित रीति से जारी किया जाना नहीं पाया गया है अर्थात जाति के संबंध में उसके द्वारा किया गया दावा सही नहीं पाया गया है और शिकायत या संदेह सही पाया गया है तो छानबीन समिति सर्तकता प्रकोष्ठ के प्रतिवेदन के साथ आवेदक या आरोपी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उसकी सूचना अनावेदक या शिकायतकर्ता को देगी तथा उसके उपरांत समुचित रीति से आवेदक, अनावेदक तथा अन्य गवाहों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जॉच करेगी।

24. छानबीन समिति का निर्णय

24.1 अधिनियम, 2013 की धारा 10 (1) के द्वारा मिथ्या/फर्जी प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति को 3 माह से 2 वर्ष तक की सजा तथा रूपए 2 हजार से रूपए 20 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है तथा धारा 10 (1) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त अपराध का संज्ञान छानबीन समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा की गई लिखित शिकायत के आधार पर ही किया जावेगा। अतः ऐसे प्रकरणों में जिनमें छानबीन समिति के द्वारा जॉच उपरांत आवेदक या आरोपी के द्वारा मिथ्या/फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र पाना सिद्ध पाया है, नियम 24 के अनुसार स्वयं आवेदक/आरोपी के विरूद्ध लिखित में एफ आई आर दर्ज कराया जाना चाहिए या उक्त निर्णय में ही ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत कर देना चाहिए जिसके माध्यम से वह लिखित एफ आई आर दर्ज कराने का आशय रखती है।

24.2 इसी प्रकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 (1) के द्वारा मिथ्या/फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्ध भी दण्ड एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है तथा नियम 24 (4) के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि इस बात की जॉच कलेक्टर से कराई जानी चाहिए कि क्या सक्षम अधिकारी के द्वारा जानबूझ कर उक्त कृत्य किया गया है। गलत/मिथ्या प्रमाण पत्र जारी होने पर प्राथमिक जवाबदारी सामाजिक प्रास्थिति का दावा करने वाले व्यक्ति की मानी जायेगी, परन्तु घोर लापरवाही अथवा मिलीभगत की स्थिति पाये जाने पर गलत/मिथ्या प्रमाण पत्र जारी करने वाला अधिकारी भी कार्यवाही का भागी होगा। अधिनियम की धारा–12 के अन्तर्गत संभावना पूर्वक की गई कार्यवाही को संरक्षण दिया गया है। अतः उक्त अनुक्रम में मिथ्या/फर्जी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी होना सिद्ध पाए जाने पर या इस संबंध में किसी व्यक्ति के दुष्प्रेरक होना पाए जाने पर छानबीन समिति को अपने निर्णय में ही कलेक्टर को उक्त संबंध में जॉच करने के निर्देश दे दिया जाना चाहिए तथा कलेक्टर के द्वारा जॉच उपरांत नियम 25 के अनुसार लिखित शिकायत (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कराई जानी चाहिए।

25. सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने, सत्यापित करने तथा निरस्त करने की आम सूचना तथा उक्त संबंध में राज्य शासन को मासिक प्रतिवेदन प्रेषित करने बाबत।

नियम 27 (1) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी, सत्यापन समिति तथा छानबीन समिति के द्वारा यथास्थिति के सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र जारी करने, सत्यापित करने तथा निरस्त करने की सूचना प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व कार्यालय के सूचना पटल पर लगायेगी तथा उसकी सूचना उसके स्वायत्त संस्था एवं निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि को उनके रिकार्ड के लिए भेजेगी तथा जिला सूचना केन्द्रों के माध्यम से निर्धारित वेब साइट पर प्रदर्शित करेगी। साथ ही नियम 27 (2) से (4) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में उसकी सूचना राज्य शासन को प्रेषित करेगी।

(मनोज कुमार पिंगुआ)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क. एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 24/09/2013

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
2. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय,जीरो पाईंट रायपुर
4. रजिस्ट्रार, मान0 छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर
7. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानव अधिकार आयोग/लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग/ राज्य निर्वाचन आयोग/अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/पिछड़ा वर्ग आयोग/सूचना आयोग,रायपुर,
8. अवर सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय छत्तीसगढ़ रायपुर
9. समस्त मान0 मंत्रीगण विशेष सहायक/निज सहायक/राज्य मंत्रीगण/ संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ रायपुर
10. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर
11. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, रायपुर छत्तीसगढ़
12. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
13. संचालक, प्रशासन अकादमी मत्रांलय परिसर, रायपुर
14. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर, छ.ग.।
15. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालय नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट www.cg.nic.in/gad पर अपलोड हेतु।
16. समस्त सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग।

की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

24/9/13
(एम0 आर0 ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त, 2013

क्रमांक एफ–13–23/2012/आ0प्र0/1–3 : इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–1/सा.प्र.वि/आ.प्र. दिनांक 1–8–1996 की निर्देश कण्डिका–1 एवं 2 के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तथा परिपत्र क्रमांक एफ–7–2/96/आ.प्र./एक दिनांक 12–3–1997 की निर्देश कण्डिका–1 एवं 2 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अस्थाई तथा स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र (जाति प्रमाण–पत्र) जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों को पदाभिहित किया गया था और विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–4/2006/आ.प्र./1–3 दिनांक 19–7–2012 की कण्डिका 4 (अ) तथा 4 (ब) के द्वारा उपर्युक्त प्रयोजनों हेतु पदाभिहित सक्षम प्राधिकारियों के आदेश के विरूद्ध अपील करने हेतु अपीलीय प्राधिकारियों को पदाभिहित किया गया था।

2/ राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपर्युक्त विभागीय परिपत्र दिनांक 1–8–1996 की निर्देश कण्डिका–1 एवं 2, विभागीय परिपत्र दिनांक 12–3–1997 की निर्देश कण्डिका–1 एवं 2 तथा विभागीय परिपत्र दिनांक 19–7–2012 की कण्डिका 4 (अ) तथा 4 (ब) को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (ख) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित प्राधिकारियों को, अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत अस्थाई तथा स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र (जाति प्रमाण–पत्र) जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी तथा धारा 2 के खण्ड (क) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित प्राधिकारियों को, उक्त सक्षम प्राधिकारियों के आदेशों के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी घोषित करता है :–

क	प्रमाण–पत्र का विवरण	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	राज्य शासन के स्त्रोतों से उपलब्ध कराई जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं के लिए यथा राज्य छात्रवृत्ति, प्री–मैट्रिक शैक्षणिक संस्थाओं एवं आश्रम तथा छात्रावासों में प्रवेश हेतु अस्थाई प्रमाण –पत्र	(1) सरपंच, ग्राम पंचायत (2) वार्ड पार्षद, नगर पंचायत,नगर पालिका, नगर पालिक निगम	——

-2-

क	प्रमाण–पत्र का विवरण	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
(2)	कमांक (1) में वर्णित प्रयोजन से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए अस्थाई प्रमाण–पत्र जो 6 माह के लिए वैध होगा	(1) तहसीलदार (2) अतिरिक्त तहसीलदार (3) नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
(3)	स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र	(1) डिप्टी कलेक्टर (2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अपर कलेक्टर / जिला कलेक्टर
		(3) अपर कलेक्टर (4) कलेक्टर	अपर आयुक्त / संभागीय आयुक्त

3/ उप जिलाध्यक्ष के प्राधिकृत अधिकारी होने की स्थिति में जिलाध्यक्ष के द्वारा उप जिलाध्यक्षों के क्षेत्राधिकारों को विनिर्दिष्ट रूप से घोषित किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के. आर. मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क. एफ–13–23/2012/आ0प्र0/1–3 :: नया रायपुर, दिनांक 22/08/ 2013
प्रतिलिपि:–

सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
3. समस्त संभागीय आयुक्त,
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
5. समस्त जिलाध्यक्ष,
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)

-3-

7. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
8. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।
9. मुख्य सचिव, के अवर सचिव मंत्रालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
10. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
11. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर
12. माननीय मंत्रीगण/संसदीय सचिव के निज सचिव/निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर।
13. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, नया रायपुर।
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
15. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
16. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,छत्तीसगढ़ रायपुर।
17. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
18. आयुक्त, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
19. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
20. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग, रायपुर।
21. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
22. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर,बिलासपुर,छ.ग.।
23. अध्यक्ष, जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर छ.ग.।
24. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालय, नया रायपुर, की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट **www.cg.nic.in/gad** पर अपलोड हेतु।
25. उप संचालक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, राजनांदगांव की ओर राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु प्रेषित है। कृपया प्रकाशित राजपत्र की 500 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करावें।

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. /389/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक / / 2014

प्रति

अपर मुख्य सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर।

विषय :– **जाति प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रकिया के सरलीकरण के संबंध में प्रचार–प्रसार करने बाबत्**

उपरोक्त विषय के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की अनुशंसा पृष्ठांकन पत्र क्र. 1868/अजजाआ/2014 दि. 11.07.2014 की प्रति इस विभाग को प्राप्त हुई है, जिसकी एक प्रति आपको भी प्रेषित की गई है। (छायाप्रति संलग्न)

2/ उक्त अनुशंसा–पत्र में यह सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र क्र. 3816/आरा.1228/2012/25–2, दि. 08.05.2013 द्वारा जाति प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रकिया में सरलीकरण किया जा चुका है, किन्तु संबंधित राजस्व कार्यालयों में जाति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदकों से वर्ष 1950 के दस्तावेजों की मांग की जाती है। ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त साक्ष्य या दस्तावेजों को नहीं माना जाता है। ग्राम सभा द्वारा प्राप्त साक्ष्य या दस्तावेज की अनदेखी की जा रही है। आयोग ने शासन द्वारा नियमों या मापदण्डों में सरलीकरण की जानकारी का उचित प्रचार–प्रसार करने की अनुशंसा की है। आयोग ने इस बाबत् राज्य तथा जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित करने का सुझाव दिया है।

3/ इस सबंध में लेख है कि आ.जा.तथा अनु. जा.वि. वि. द्वारा जारी ज्ञापन क्र. 3816/आरा. 1228/2012/25–2, दि. 08.05.2013 एवं इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.09.2013 के निर्देशो का पालन नहीं होने पर इस विभाग के निर्देश क्र. 13–22/2012/आ.प्र./1–3, दिनांक 30.06.2014 द्वारा पुनः समस्त कलेक्टर्स को लिखा गया है कि वे जाति प्रमाण–पत्र जारी करने वाले संबंधित प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, नायब तहसीलदार को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित करें तथा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। (छायाप्रति संलग्न)

4/ कृपया छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग की अनुशंसानुसार ग्राम सभा तथा नगर निकाय के प्रस्ताव/अनुमोदन के आधार पर जाति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार/नायब तहसीलदारों को राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर उचित प्रचार–प्रसार करने के संबंध में निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(एम.आर.ठाकुर)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्र. 912/389/2014/आ.प्र./1–3, नया रायपुर, दिनांक 4/08/ 2014

प्रतिलिपि :–

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

4 AUG 2014